



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.



पत्रांक: प्रोरासिविवि/कुसका/2024-766

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2024

कार्यालय- ज्ञाप

उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या: 1968/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी०सी० दिनांक: 09, अक्टूबर, 2024 के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्धारित की गयी है-

क्र.सं.	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक: 10 अक्टूबर, 2024 से 15 दिसम्बर, 2024 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक: 16 दिसम्बर, 2024 से 20 जनवरी, 2025 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक: 31 जनवरी, 2025 तक।
4	ऑनलाइन अनापत्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 10 फरवरी, 2025 तक।
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 20 फरवरी, 2025 तक।
6	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक: 05 मार्च, 2025 तक (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक: 28 फरवरी, 2025 तक निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक: 05 अप्रैल, 2025 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 20 अप्रैल, 2025 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 10 मई, 2025 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 31 मई, 2025 तक।

नोट: समस्त नवीन/पूर्व संचालित महाविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों के संचालनार्थ सम्बद्धता हेतु शासन के अनापत्ति/सम्बद्धता के पोर्टल <http://henoc.upsdc.gov.in> पर



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.



उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार आवेदन करते हुए विश्वविद्यालय की ई-मेल आईडी-registraraffiliation@prsuniv.ac.in पर सूचित करने का कष्ट करें।

ऐसे समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय जिन्हें वांछित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है तथा सत्र 2025-26 में सम्बद्धता प्राप्त की जानी है तथा ऐसे पूर्व संचालित महाविद्यालय जिन्हें सत्र 2024-25 तक सम्बद्धता प्राप्त थी अथवा सत्र 2024-25 में सम्बद्धता-विस्तरण प्राप्त था, वह सभी महाविद्यालय उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक: **28 फरवरी, 2025 तक अनिवार्य रूप से करें।**

महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षित है कि सम्बद्धता हेतु किए गये ऑनलाइन आवेदन <http://henoc.upsdc.gov.in> के उपरान्त इसकी सूचना विश्वविद्यालय की ई-मेल registraraffiliation@prsuniv.ac.in पर प्रेषित किये जाने तथा महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाले आवेदन की हार्डकापी में निरीक्षण कराये जाने हेतु दो तिथियों का भी अनिवार्यतः उल्लेख करें जिससे कि निरीक्षण मण्डल के गठन के समय ही निरीक्षण मण्डल के सदस्य-सचिव/सदस्यों से उक्त तिथियों में निरीक्षण किये जाने हेतु अनुरोध किया जा सके।

सत्र 2025-26 में बिना सम्बद्धता के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा ससमय सम्बद्धता प्राप्त न होने एवं प्रवेश प्रतिबन्धित होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

संलग्नक-यथोक्त।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।
4. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज ही तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2024

विषय:-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से 15 दिसम्बर, 2024 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 से 20 जनवरी, 2025 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक।
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 फरवरी, 2025 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 20 फरवरी, 2025 तक।

6.	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 05 मार्च, 2025 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदुपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2025 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 10 मई, 2025 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

3- समान्य निर्देश -

(i) ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने के संबंध में निर्देश :-

- खतौनी का सत्यापन।
- संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी का स्थलीय सत्यापन।
- सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।

(ii) निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक :-

- निरीक्षण मण्डल का पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य-सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- निरीक्षण की तिथि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विकल्प दिये जाये, जिसपर पैनल सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दोनों तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्धारित तिथि पर पैनल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। उक्त निर्धारित तिथि पर निरीक्षण न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त समझा जा सकता है।
- पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हों तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये।
- पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।

(iii) निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्ड :-

- प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।

- निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।
 - प्रक्रिया में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु यथावश्यकता निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का प्रति-सत्यापन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जा सकता है।
- 4- उक्त समय-सारिणी एवं निर्देशों का प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-19680/सत्तर-2-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।